प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 973 सन 2021

अनवान :–

1. गुरतारसिह पुत्र हजूरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी हजुरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. जसप्रीत उर्फ भोला पुत्री हजूरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 137/124 की कुल 10.6260हैक में से 751/35420हिस्सा एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 107/41 की कुल 1.2650हैक में से 191/1725 हिस्सा एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक में से 191/1725 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह ने अपने जीवन काल में एक वसीयत दिनांक 21.05.2007 को वादी के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वादी के पिता हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह का का देहान्त दिनांक 17.05.2021 को हो चुका है हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह की वसीयत के अनुसार वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका हे जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने कां अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 वादी की बहने है एवं हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या1 ,2 ने स्वीकार किया गया है कि उनके पिता हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह ने वादी के पक्ष में करवाई गई वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के पिता ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के भाई के पक्ष में वसीयत करवाई हुई वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह का देहान्त हो चुका है हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह की वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 137/124 की कुल 10.6260हैक में से 751/35420हिस्सा एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 107/41 की कुल 1.2650हैक में से 191/1725 हिस्सा एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक में से 191/1725 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह ने अपने जीवन काल में एक वसीयत दिनांक 21.05.2007 को वादी के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वादी के पिता हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह का का देहान्त दिनांक 17.05.2021 को हो चुका है हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह की वसीयत के अनुसार वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका हे जिसे वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम से दर्ज थी जिन्होने अपने जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के भाई के पक्ष में की हुई है जिनका देहान्त हो चुका है इसलिये हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम से दर्ज भूमि वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 137/124 की कुल 10.6260हैक में से 751/35420हिस्सा एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 107/41 की कुल 1.2650हैक में से 191/1725 हिस्सा एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक में से 191/1725 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुरतारसिह पुत्र हजूरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 अमरजीत कौर पत्नी हजुरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
2. जसप्रीत उर्फ भोला पुत्री हजूरसिह जाति जटसिख निवासी चक 22 एनटीआर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 973 सन 2021 निर्णय दिनांक–20.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 137/124 की कुल 10.6260हैक्ट में से 751/35420हिस्सा एवं रोही मौजा चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 107/41 की कुल 1.2650हैक्ट में से 191/1725 हिस्सा एवं चक 22 एनटीआर के खाता संख्या 41/45 की कुल 6.0720हैक्ट में से 191/1725 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हजुरसिह पुत्र इन्द्रसिह के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...चक सरदारपुरा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर